

TRAI NTO 2.0 NOTIFICATION

TRAI in its notification has directed all broadcasters under section 13, read with section 11, of the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997, to ensure compliance of various provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 dated 1st January 2020 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2020 dated 1st January 2020.

The Tariff Amendment Order 2020, all the Broadcasters were required to publish revised Maximum Retail Price (MRP) of a - l a - c a r t e channels and bouquets of channels by 15th January 2020.

Some broadcasters



and other stakeholders challenged various provisions of Tariff Amendment Order 2020, Interconnection Amendment Regulations 2020 and QoS Amendment Regulations 2020 in various High Courts including in the Hon'ble High Court of Bombay vide Writ Petition (L) No. 116 of 2020 and other connected matters therewith.

The Hon'ble High Court of Judicature at Bombay (the Hon'ble Court) heard the matter at length, for about six days, for interim relief and orders were reserved thereon on 04.03.2020 for interim relief, if any, and the same was expected to be pronounced very shortly thereafter.

Even though no ad-interim/interim orders were passed by the Hon'ble Court restraining TRAI from implementation of the amended Regulations 2020 and Tariff Amendment Order 2020, TRAI did not take any coercive steps or measures to implement the said Regulations and Tariff Order, as the matter was heard at length for interim relief by the Hon'ble Court and the orders thereon were expected to be pronounced very shortly.

ट्राई की एनटीओ-2 अधिसूचना

ट्राई ने 1 जनवरी 2020 को अपनी अधिसूचना में टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण व केबल) सर्विसेज (आठवां) (एडेसेवल सिस्टम्स) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश, 2020 और दिनांक 1 जनवरी 2020 को टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण व केबल) सर्विसेज इंटरकेशन (एडेसेवल सिस्टम्स) (दूसरा संशोधन) नियमन के विभिन्न प्रावधानों के अनुपालन की मुनिश्चितता के लिए सभी प्रसारणकर्ताओं को धारा 13 के तहत निर्देशित किया है, जो कि भारतीय दूरसंचार नियमक प्राधिकरण, 1997 की धारा 11 के साथ पढ़ा जायेगा।

टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के तहत सभी प्रसारकों को 15 जनवरी 2020 तक चैनलों के बुके और ए-लॉ-कार्ट चैनलों के संशोधित खुदरा मूल्य (एमआरपी) को प्रकाशित करने की आवश्यकता थी। कुछ प्रसारकों और विभिन्न हितधारकों ने टैरिफ संशोधन आदेश 2020,

**TRAI TO BROADCASTERS
COMPLY WITH NTO 2 BY
10 AUG 2020**

इंटरकेशन संशोधन अधिनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन अधिनियम 2020 के विभिन्न प्रावधानों को विभिन्न उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जिसमें बंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका (एल) नंबर 2020 की संख्या 116 और अन्य जुड़े मामले भी शामिल हैं।

बंबई (माननीय अदालत) में माननीय उच्च न्यायालय के महकमे ने लगभग छह दिनों तक अंतरिम राहत के लिए मामले की सुनवाई की और अंतरिम राहत के लिए 04.03.2020 को आदेश दिये गये और यदि कोई अपील नहीं होता है तो इसके बाद बहुत जल्दी ही अंतिम फैसला आने की उम्मीद थी।

भले ही माननीय न्यायालय द्वारा ट्राई को संशोधित विनियम 2020 और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के कार्यान्वयन से रोकते हुए कोई भी अंतर-अंतरिम/अंतरिम आदेश पारित नहीं किया गया था, लेकिन ट्राई ने उक्त विनियमों और टैरिफ आदेश को लागू करने के लिए कोई भी कठोर कदम या उपाय नहीं किये, क्योंकि माननीय न्यायालय द्वारा अंतरिम राहत के लिए इस मामले की सुनवाई की गयी थी और इसके आदेश बहुत जल्दी सुनाये जाने की उम्मीद है।



A complete lockdown was implemented across the entire Country with effect from 25th March 2020, due to the unprecedented situation caused by the Covid-19 pandemic.

The Authority on 13th February 2020, keeping in view the interests of consumers and to give them enough time to make their choices of channels in a timely manner in order to effect a smooth transition from 1st March 2020, issued a letter to all broadcasters and all distributors of television channels to take suitable steps for the implementation of Tariff Amendment Order, 2020. Despite such letter of the Authority, many broadcasters did not implement the provisions of the Tariff Amendment Order, 2020, Interconnection Amendment Regulation 2020 and QoS Amendment Regulations 2020.

The Authority noted that the bouquets of pay channels being provided by them are not in compliance with the provisions of the Tariff Amendment Order 2020, and while the matter remained under consideration of the Hon'ble High Court of Bombay, the Authority received and continues to receive a large number of complaints asserting that

- (i) consumers are being denied the benefits of the amended Regulations and Tariff Order by some broadcasters; and
- (ii) part of the Regulations and Tariff Amendment Order, 2020 have already been implemented by some of the stakeholders like DTH operators and MSOs and that due to non-implementation of Tariff Amendment Order, 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020 by some broadcasters, other benefits as envisaged by these orders are being denied to the consumers.

In these circumstances, it was expected that the broadcasters, would implement the provisions of Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020, in the interest of the consumers.

The Authority noted that despite being under legal obligation to implement the new regulatory regime notified on 01.01.2020, some broadcasters have failed not only to implement the provisions of the regulations and the tariff orders notified by the Authority on 01.01. 2020 but have also started violating the provisions of Principal Tariff Order 2017, particularly the clause related to reporting requirement and are also disturbing the status quo by modifying the composition as well as discontinuation of their existing bouquets, in a manner that is beneficial to them but adversely affects interest of the consumers.

Only few broadcasters who had filed new RIO

कोविड-19 महामारी की अभूतपूर्व स्थिति के कारण 25 मार्च 2020 से प्रभावी के साथ पूरे देश में पूर्ण रूप से तालाबंदी की घोषणा की गयी।

13 फरवरी 2020 को प्राधिकरण, उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखते हुए और 1 मार्च 2020 से मुचास्त रूप से संकरण को प्रभावित करने के लिए समय पर ढांग से चैनलों को अपनी पसंद बनाने के लिए उन्हें पर्याप्त समय देने के लिए, सभी प्रसारकों और टेलीविजन चैनलों के सभी वितरकों को टैरिफ संशोधन आदेश 2020 की प्रस्तुतिकरण के लिए उपयुक्त कदम उठाने को कहा गया। प्राधिकरण के इस तरह के पत्र के बावजूद, कई प्रसारकों ने टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेशन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों को लागू नहीं किया।

प्राधिकरण ने कहा कि उनके द्वारा प्रदान किये जाने वाले पे चैनल के बुके टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं हैं और जबकि मामला माननीय उच्च न्यायालय बंबई के विचाराधीन है, प्राधिकरण ने निम्न मामलों में बड़ी संख्या में शिकायत प्राप्त किया है या उसे प्राप्त हो रहे हैं।

- (i) उपभोक्ताओं को कुछ प्रसारकों द्वारा संशोधित विनियमों और टैरिफ आदेश के लाभों से वंचित किया जा रहा है, और
- (ii) विनियम और शुल्क संशोधन आदेश का हिस्सा, 2020 पहले ही डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ जैसे कुछ हितधारकों द्वारा लागू किया जा चुका है और कुछ प्रसारकों द्वारा टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेशन संशोधन विनियमों 2020 के लागू नहीं होने के कारण। इन आदेशों के तहत परिकल्पित किये गये अन्य लाभों को उपभोक्ता द्वारा अस्वीकार किया जा रहा है।

इन परिस्थितियों में, यह उम्मीद की जा रही थी कि प्रसारणकर्ता, उपभोक्ताओं के हित में टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेशन संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों को लागू करेंगे।

प्राधिकरण ने उल्लेख किया कि 01.01.2020 को अधिसूचित नयी नियामक व्यवस्था को लागू करने के लिए कानूनी दायित्वों के अधीन होने के बावजूद, कुछ प्रसारणकर्ता न केवल विनियमों के प्रावधानों और प्राधिकरण द्वारा अधिसूचित टैरिफ आदेशों को लागू करने में विफल रहे बल्कि इसने मूल टैरिफ आदेश 2017 के प्रावधानों का भी उल्लंघन करना शुरू किया, विशेष रूप से रिपोर्टिंग की आवश्यकता से संबंधित खंड और रचना को संशोधित करने के साथ-साथ उनके मौजूदा बुके के विच्छेदन द्वारा यथास्थिति को भी परेशान कर रहे हैं, एक तरीके से जो उनके लिए फायदेमंद है लेकिन उपभोक्ताओं के हित को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

केवल कुछ प्रसारकों ने नये आरआईओ को भरा था, जिसमें

containing revised al-a-carte prices of channels, composition of bouquet and bouquet prices in January / February 2020 as per the Principal Tariff Order 2017 chose not to implement the revised prices and status quo was maintained by such broadcasters until recent past. They are asking Distribution Platform Operators (DPOs) to accept new bouquets with revised prices and that recently one major broadcaster has discontinued its low priced bouquets so that consumers take new higher priced bouquet thereby increasing their monthly payout and that the said broadcaster has announced to discontinue its low priced bouquets with effect from 01.08.2020 for subscription. These new bouquets being pushed by the said broadcaster are not compliant with the provisions of the Tariff Amendment Order 2020 and that the broadcaster did not even care to inform TRAI, in clear violation of reporting requirements provided for in the Principal Tariff order 2017.

Another broadcaster who had filed a Reference Interconnect Offer (RIO) containing revised prices of channels and bouquets in Jan 2020, filed, on 08.06.2020, another revision of the RIO, not in compliance with Tariff Amendment Order 2020, merely replacing one channel of 25 paisa with another channel of the same price and also increased the price of their most popular bouquet from ₹ 25/- to ₹ 28/- in an attempt to change the status quo which had continued so far.

TRAI being the sector regulator enjoined to protect the interests of consumers, had maintained patience in due reverence to the impending decision of the Hon'ble Court and had not pressed ahead for enforcement of the Tariff Amendment Order 2020, the Interconnection Amendment Regulations 2020 and the QoS Regulations 2020. Such broadcasters, in utter disregard to the settled principles and extant regulations, are changing the service offerings in violation of Tariff Amendment Order 2020 by unilaterally increasing the prices of bouquets and are also simultaneously discontinuing the low priced bouquets disturbing the status quo thereby adversely affecting the interests of the consumers;

Some DPOs have also brought to the notice of the Authority that many broadcasters are not willing to sign the agreements as per the provisions of Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020 and as the RIOs offered by Broadcasters are not in compliance with the extant regulations and orders, DPOs are not willing to enter into such non compliant agreements thereby creating a regulatory vacuum in the sector. There is complete ad-hocism prevailing in the industry wherein all interconnection and other agreements are getting renewed

चैनलों का ए-लॉ-कार्ट की कीमतें, बुके की संरचना, और मूल टैरिफ आदेश 2017 के मुताबिक जनवरी / फरवरी 2020 में बुके मूल्य शामिल था, ने संशोधित कीमतों को लागू नहीं करने का फैसला किया, और हाल के दिनों तक ऐसे प्रसारकों द्वारा यथास्थिति को बनाये रखा गया। वे वितरण प्लेटफॉर्म ऑपरेटरों (डीपीओ) से संशोधित कीमतों के साथ नये बुके को स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं और हाल ही में एक बड़े प्रसारक ने कम कीमत के बुके को बंद कर दिया, ताकि उपभोक्ता नये मूल्य वाले बुके ने सकें, जिससे उनका मासिक भुगतान बढ़े, और यह कि उस प्रसारक ने अपनी कम कीमत वाली बुके को सब्सक्रीप्शन के लिए 01.08.2020 से बंद करने की घोषणा की है। उक्त प्रसारक द्वारा प्रचारित किये जा रहे बुके टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के प्रावधानों के अनुरूप नहीं हैं और मूल टैरिफ आदेश 2017 में दी गयी रिपोर्टिंग आवश्यकताओं के स्पष्ट उल्लंघन के बारे में प्रसारक ने ट्राई को सूचित करने की भी परवाह नहीं की।

एक अन्य प्रसारक जिसने जनवरी 2020 में चैनलों व बुके के संशोधित मूल्य वाले रेफेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) दायर किया था, ने आरआईओ में एक और संशोधन को 08.06.2020 को दायर किया, जो कि टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के अनुपालन में नहीं था, ने केवल 25 पैसे के एक चैनल को उसी कीमत के दूसरे चैनल के साथ बदलने और उनके सबसे लोकप्रिय बुके की कीमत को 25रुपये से बढ़ाकर 28रुपये कर दिया, जो यथास्थिति बदलने का प्रयास है जो कि अभी भी जारी है।

ट्राई ने उपभोक्ता के हितों की रक्षा के लिए क्षेत्र के नियामक होने के नाते, मानवीय न्यायालय के आसन्न निर्णय के प्रति उचित शब्दा बनाये रखी थी और टैरिफ संशोधन आदेश 2020, इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 और क्यूओएस नियमन 2020 को लागू करने के लिए दबाव नहीं डाला। इस तरह के प्रसारकों, निर्धारित किये गये सिद्धांतों और मौजूदा नियमों की अवहेलना करते हुए एकतरफा रूप से बुके की कीमतों में वृद्धि से टैरिफ संशोधन आदेश 2020 का उल्लंघन करते हुए सेवा प्रस्तुतिकरण में बदलाव कर रहे हैं और साथ ही साथ कम कीमत वाले बुके को बंद कर रहे हैं जिससे न सिर्फ यथास्थिति बदल रही है बल्कि उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

कुछ डीपीओ ने प्राधिकरण के ध्यान में भी लाया है कि कई प्रसारक, टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 के प्रावधानों के अनुसार समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार नहीं हैं और जैसे कि प्रसारकों द्वारा पेश की गयी आरआईओ मौजूदा नियम और कानून का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, इसलिए डीपीओ ऐसे गैर अनुपालन समझौते में प्रवेश करने के लिए तैयार नहीं हैं, जिससे कि इस क्षेत्र में नियामक शून्यता पैदा हो। उद्योग में प्रचलित पूर्ण तदर्थवाद है जिससे सभी परस्पर संबंध और अन्य समझौतों को एक / दो महीने के लिए नवीनीकृत किया जा रहा है जिससे क्षेत्र में अनिश्चितता पैदा हो रही है।

for one / two months thereby creating uncertainty in the sector and causing serious concern regarding timely completion of agreements and provision of signal/revenue share etc. for the healthy and orderly growth of the sector.

The Authority is in receipt of complaints from some DPOs wherein it has been alleged that some broadcasters are extending old agreements with some DPOs and are imposing new terms and conditions including prices to other DPOs and that litigations because of such issues have been filed before Hon'ble TDSAT. The restraint exercised by TRAI qua not taking coercive measure vis a vis the non-implementation of the impugned Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Regulations 2020 is unfair not only to consumers but also to those DTH operators and MSO etc., who have already complied with their part of the obligation as per the Interconnection Regulations 2020 and Tariff Amendment Order 2020 and that such DTH operators and MSOs also represented to TRAI that they are not able to implement remaining part of the Amendment Tariff Order 2020 due to absolute nonperformance of the obligations by some Broadcasters.

The Authority in accordance with the provisions of TRAI Act has notified the Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020 for the benefit of consumers and any further delay in implementation of the said order would adversely affect the interest of consumers and would result in irreparable loss to the consumers. Non implementation of the Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020 is leading to chaos in the sector and jeopardizing the business processes which has been harmonized after 2017 Regulatory framework and that delay and uncertainty in the implementation of the regulatory framework 2020 will again bring back non-transparency and discriminatory practices in the sector wherein industry was full of litigation and there was no choice of channels to consumers.

और समझौतों के समय पर पूरा होने और क्षेत्र के स्वरूप व व्यवस्थित विकास के लिए सिग्नल/राजस्व हिस्सेदारी आदि के प्रावधान के बारे में गंभीर चिंता पैदा हो रही है।

प्राधिकरण को कुछ डीपीओ से शिकायतें प्राप्त हो रही है जिसमें यह आरोप लगाया गया है कि कुछ प्रसारक कुछ डीपीओ के साथ पुराने समझौते कर रहे हैं और नये नियम व शर्तों को लागू कर रहे हैं जिसमें अन्य डीपीओ के लिए मूल्य भी शामिल हैं और इस तरह के मुद्दे के चलते माननीय टीटीसेट के समक्ष मुकदमें दायर किये गये हैं। ट्राई की योग्यता के आधार पर संयम बरतने और अभी तक लागू नहीं किये गये टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन अधिनियम 2020 की गैर प्रस्तुतिकरण के लिए जबरदस्त उपाय न करना केवल उपभोक्ताओं के लिए ही नहीं बल्कि उन डीटीएच ऑपरेटरों व एमएसओ आदि के लिए भी अनुचित है जिन्होंने पहले ही इंटरकनेक्शन रेग्युलेशन 2020 और टैरिफ संशोधन आदेश 2020 के अनुसार दायित्वों के अपने हिस्से का अनुपालन किया है और इस तरह के डीटीएच ऑपरेटरों और एमएसओ ने ट्राई को बताया है कि वे कुछ प्रसारकों द्वारा दायित्वों के पूरी तरह पालन नहीं करने के चलते संशोधित टैरिफ आदेश 2020 के शेष हिस्से को लागू करने में सक्षम नहीं हैं।

ट्राई अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण ने उपभोक्ताओं के लाभ के लिए टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 अधिसूचित किया है और उक्त आदेश के कार्यान्वयन में किसी भी तरह के विलंब से उपभोक्ता के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और इससे अपूरणीय क्षति होगी। टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 को लागू नहीं करने से इस क्षेत्र में अराजकता फैलेगी और 2017 की विनियामक रूपरेखा के बाद सामंजस्य बिठाने वाली व्यावसायिक प्रक्रियाओं को खतरे में डालना और नियमक ढांचे 2020 के कार्यान्वयन में देरी और अनिश्चितता फिर उसे उस क्षेत्र में गैर-पारदर्शिता और भेदभावपूर्ण प्रथाओं को वापस लायेगी जिसमें उद्योग मुकदमेबाजी से भरा था और उपभोक्ताओं के पास चैनल चुनाव का कोई विकल्प नहीं था।



**INDIA'S MOST RESPECTED TRADE MAGAZINE FOR THE
CABLE TV, BROADBAND, IPTV & SATELLITE INDUSTRY**

**... You Know What You are doing
But Nobody Else Does**

ADVERTISE NOW!



- ❖ In-depth & Unbiased Market Information
- ❖ Technology Breakthroughs
- ❖ Comprehensive Circulation Across The Satellite & Cable TV Industry

Contact: Mob.: +91-7021850198 Email: scat.sales@nm-india.com

The regulatory framework of 2017 has not only been upheld by Hon'ble Supreme Court but has also been appreciated in its judgment dated 30th October 2018. The Regulatory framework and the amendments therein are in the nature of subordinate legislation and statutory orders laying down the very basis of the laws governing the broadcasting and cable services sector in the Country and an important public policy matter having direct impact on the consumers and the economy and that any further delay in implementation of such public policy without any interim relief from the Court of law would serve the interests of only few stakeholders in the sector and that too at the cost of other stakeholders including the consumers in the value chain.

To promote orderly growth of the sector and to balance the interests of service providers and to safeguard the interest of the consumers, it is necessary to give effect to Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020 without any further delay.

- (i) The revised prices announced by some broadcasters are to take effect from 01.08.2020.
- (ii) The Authority is legally bound to protect the consumers' interest and cannot abdicate its responsibility.
- (iii) there is every possibility that other broadcasters may also start similar malpractices thereby nullifying the very legal framework laid down for regulation of broadcasting sector by TRAI resulting in total chaos and uncertainty in the minds of consumers; and
- (iv) any further delay in implementation of the Tariff Amendment Order 2020 and Interconnection Amendment Regulations 2020 would adversely affect the interest of consumers resulting into irreparable loss to the consumers.

Now, therefore, the Authority, in exercise of its power under section 13 directs all the broadcasters to report to the Authority by 10.08.2020, name, nature, language, maximum retail prices per month of channels and maximum retail price per month of bouquets of channels, or composition of bouquets and also amend Reference Interconnected Offer (RIO) in compliance with the provisions of the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services (Eighth) (Addressable Systems) Tariff (Second Amendment) Order, 2020 and the Telecommunication (Broadcasting and Cable) Services Interconnection (Addressable Systems) (Second Amendment) Regulations, 2020 dated 1st January 2020 and shall simultaneously publish such information on their websites. ■

2017 के नियामक ढांचे को न केवल माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वरकरार खबा गया बल्कि 30 अक्टूबर 2018 के अपने फैसले में भी इसकी सराहना की गयी है। नियामक ढांचा और उसमें किये गये संशोधन अधीनस्थ कानून और वैधानिक आदेशों की प्रकृति के आधार पर देश में प्रसारण और केवल सेवा क्षेत्र को नियंत्रित करने वाले कानूनों के आधार पर है और उपभोक्ताओं व अर्थव्यवस्था पर सीधा प्रभाव डालने वाली एक महत्वपूर्ण सार्वजनिक नीति का मामला और यह कि इस तरह की सार्व जनिक नीति को लागू करने में किसी भी तरह की देरी से कोर्ट ऑफ लॉ कोर्ट से अंतरिम राहत मिलने से क्षेत्र में केवल कुछ हितधारकों के हितों की सेवा होगी और वह भी मूल्य शृंखला में उपभोक्ताओं सहित अन्य हितधारकों की कीमत पर।

क्षेत्र में सुव्यवस्थित विकास को बढ़ावा देने और सेवा प्रदाताओं के हितों को संतुलित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन संशोधन विनियम 2020 को बिना किसी देरी के लागू किया जाना आवश्यक है:

- (i) कुछ प्रसारकों द्वारा घोषित संशोधित कीमतें 01.08.2020 से प्रभावी हैं
- (ii) प्राधिकरण कानूनी रूप से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए वाध्य है और अपनी जिम्मेदारियों से भाग नहीं सकता है।
- (iii) इस बात की पूरी संभावना है कि अन्य प्रसारक भी इसी तरह के भ्रष्टाचार से शुरू कर सकते हैं, जिससे द्वाई द्वारा प्रसारण क्षेत्र के नियमन के लिए निर्धारित बहुत से कानूनी ढांचे को खल कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं के मन में पूरी तरह अराजकता और अनिश्चितता है, और
- (iv) टैरिफ संशोधन आदेश 2020 और इंटरकनेक्शन संशोधन नियमन 2020 के कार्यान्वयन में किसी भी तरह की देरी से उपभोक्ताओं के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं को अपूरणीय क्षति होगी।

अब इसलिए प्राधिकरण धारा 13 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए, सभी प्रसारणकर्ता को प्राधिकरण को रिपोर्ट करने के लिए 10.08.2020 तक नाम, प्रकृति, भाषा, प्रति माह अधिकतम युद्धा मूल्य और प्रति माह बुके की अधिकतम युद्धा कीमत, बुके की रचना, और टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण व केवल) सर्विसेज (आठवीं) (एड्रेसेबल सिस्टम) टैरिफ (दूसरा संशोधन) आदेश 2020 और टेलीकम्युनिकेशन्स (प्रसारण व केवल) सर्विसेज इंटरकनेक्शन (एड्रेसेबल सिस्टम) (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2020, दिनांक 1 जनवरी 2020 के प्रावधानों के अनुपालन में रेफ्रेंस इंटरकनेक्ट ऑफर (आरआईओ) में भी संशोधन करेगा और साथ ही साथ अपनी वेबसाइट पर इस तरह की जानकारी को भी प्रकाशित करेंगे। ■